प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष / सचिव,
श्रीरंग फाउण्डेशन ट्रस्ट,
सी0ओ0 ऑफिस के सामने पुलिस कालोनी,
अयोध्या
(संस्था–डा0 ए0के0 पाण्डेय कॉलेज ऑफ फार्मेसी,
तुलसीपुर, बलरामपुर)

पत्रांकः–प्राशिप / परिषद / 2021 / 1316 लखनऊःदिनांक– 21/06/2021

विषयः– <u>संस्थान को सहमति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 17–6–2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है। पी0सी0आई0 द्वारा अपने पत्र संदर्भ संख्या 14–56 / 2019-PCI (Moratorium) / 4562–4670 दिनांक 09 सितम्बर 2019 द्वारा निम्नवत् उल्लेख किया गया हैः–

It was unanimously decided that moratorium on the opening of new pharmacy colleges for running Diploma as well as Degree course in pharmacy for a period of five years begining from the academic year 2020-21 will be subject to following condititons-

a) The moratorium will not apply to the Government instituions.
b) The moratorium will not apply to the institutions in North Eastern region.
c) The moratorium will not apply to the States/Union Territories where the number of D.Pharm and B.Pharm institutions (both combined) is less than 50.
d) **The institutions which had applied for opening D.Pharm and/or B.Pharm colleges for 2019-20 academic session either to the PCI or to the AICTE and the proposal was rejected or not inspected due to some reason or the other will be allowed to apply for 2020-21 academic session and this relaxation is given only for one year i.e. for 2020-21 academic session only.**
e) Existing approved pharmacy institutions will be allowed to apply for increase in intake capacity as per PCI norms and/or to start additional pharmacy course(s)

प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली / पी0सी0आई0, नई दिल्ली से प्रश्नगत संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान की सम्बद्धता पर परिषद विचार करता है। इस संबंध में कतिपय औपचारिकताएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद / पी0सी0आई0 के अनुमोदन पत्र निर्गत होने के पूर्व परिषद द्वारा पूर्ण कर ली जाती है।

पी0सी0आई0, नई दिल्ली द्वारा **बिन्दु–d** में दिये गये उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में संस्था को सहमति पत्र इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2021–22 हेतु फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र सत्र 2021–22 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग / प्रवेश परीक्षा के पूर्व प्रत्येक दशा में परिषद

कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति पत्र प्रतीकात्मक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण किये जाने पर ही मान्य होगा।

भवदीय,

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव

पृ0सं0– प्राशिप / परिषद / 2021 / तद्दिनांक–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–रजिस्ट्रार–कम–सेकेटरी, फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, कम्बाइन्ड काउसिंल बिल्डिंग, टेम्पल लेन, कोटला रोड, एवान–ए–गालिब मार्ग, नई दिल्ली– 110 002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेल्सन मण्डेला मार्ग, वसंत कुज, नई दिल्ली–110070

3 उपसचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव